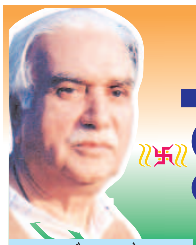

इन्दौर समाचार के
पितृपुरुष स्व. श्री सुरेश सेठजी

Email:samachar.indore@gmail.com, Website: www.indoresamachar.net

RNI No. 1533/57, Dak Reg.: MP/IDC/91/2024-2026 ***

# इन्दौर समाचार

वर्ष 85 अंक-146 | इन्दौर, शुक्रवार 15 अगस्त 2025 | पृष्ठ 12+8 +8+8 मूल्य 5 रुपए


**अवकाश की सूचना**

सभी इन्दौर समाचार के पाठकों, संवाददाताओं और विज्ञापनदाताओं स्वतंत्रता दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे कार्यालय इन्दौर समाचार में इस पर्व पर अवकाश रहेगा। अत: अगला अंक 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।

संपादक

## सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय परिसर में ईवीएम बुलाकर दोबारा मतगणना कराई, बदल गए नतीजे

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।**

ईवीएम पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं। राजनैतिक दल कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं। इस बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार खुद अपने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मंगवाकर हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना कराई। इस पुनर्गणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। बता दें कि 2 नवंबर 2022 को इसके नतीजे घोषित किए गए थे। उसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सह इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत में याचिका दायर की थी। 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना के आदेश दिए, जिसे 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर सह इलेक्शन ऑफिसर द्वारा किया जाना था। 1 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत,

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के भी आदेश दिए गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई, जिसमें कुल 3,767 वोट गिने गए।

मोहित कुमार को 1051 वोट और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। बाकी बचे वोट अन्य उम्मीदवारों को गए। मतगणना सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी ने की और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, ओएसडी की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ की गई और प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया ।

### सुप्रीम कोर्ट का आदेश : चुनाव आयोग बिहार में

## 65 लाख डिलीट वोटर की सूची कारण के साथ जारी करे

**नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए।**

इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने कहा गया है। अखबार से टीवी तक प्रचार करने का भी आदेश है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मतदाता वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC) डालकर अपना नाम खोज सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल वोटर लिस्ट

रिवीजन के बाद आयोग ने 1 अगस्त को पहला मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। आयोग ने कहा है कि इन 65 लाख लोगों में 22 लाख मर चुके हैं, जबकि 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए या मिले नहीं। आयोग के मुताबिक 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों, नेताओं और एनजीओ ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह से स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन (स्इ्क्र) के खिलाफ केस दायर किया है, जिस पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को गुरुवार को यह अंतरिम आदेश दिया है और कहा है कि अगले शुक्रवार को वो आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जिला स्तर से आदेश के पालन की रिपोर्ट भी आयोग से मांगी है कि लिस्ट निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश में कहा है कि 2025 के समरी रिवीजन के बाद की मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों के नाम थे लेकिन SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनकी सूची जिला स्तर पर जारी की जाए।

### कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द

**नयी दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा के साथ अन्य पांच को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत गुरुवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ अभियुक्तों को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की याचिका स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।

### किश्तवाड़ में धराली जैसी आपदा : पहाड़ों के बीच गांव,

## ऊपर से आया मलबे का रेला, 15 की मौत

**किश्तवाड़ (एजेंसी)।** जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में धराली जैसी तबाही हुई है। यहां बादल फटने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी यह संख्या बढ़ सकती है। यह बादल चशोती में फटा है, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गांव है, जहां किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की

वार्षिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मचैल माता की यात्रा के लिए जुटने वाले लोग चशोती गांव को एक बेस कैंप की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यहां बड़ी संख्या में टेंट लगाए जाते हैं, जिससे श्रद्धालु आराम कर सकें। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे गांव में गुरुवार को अचानक बादल फटा और ऊपर से मलबा आ गया। अब तक 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई के शव मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे की वजह से नेटवर्क की समस्या भी हो गई है, जिससे लोगों का बाहरी इलाके से संपर्क कट गया है। गांव में यात्रा के लिए जगह-जगह लंगर वाले टैंट भी लगाए गए थे, वे भी मलबे में बह गए।

## अब की बार, वोट चोरों की हार....का नारा बुलंद कर राहुल गांधी की अपील वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ें

### बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में यात्रा की शुरुआत करने वाले है। कांग्रेस पार्टी ने यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है, यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है,

बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने युवा, मजदूर, किसान और हर नागरिक से यात्रा में शामिल होने की अपील की। राहुल गांधी ने लिखा, हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर की मनाने वाले है। युवा, मजदूर, किसान- हर नागरिक, उठो और जनांदोलन से जुड़ो। इसके अलावा अपनी पोस्ट में एक नया नारा गढ़ते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अब की बार, वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से रोहतास जिले के सासाराम शहर से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता शामिल हो रहे है।